न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 27/2018
3. उनवान : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. रामकरण पुत्र सेवा राम जाति कुमावत
2. रामस्वरूप पुत्र सेवा राम
3. रामसहाय पुत्र सेवा राम
4. पेमा पुत्र नाथू
5. भागीरथ पुत्र नाथू

समस्त ग्राम आसलपुर तहसील फुलेरा मुं0 सांभर जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 14-07-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

Court of Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR

निर्णय

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा मुं0 सांभर द्वारा न्यायालय के समक्ष ग्राम आसलपुर तहसील फुलेरा मुं0 सांभर लेक जिला जयपुर संवत् 2011–2029 के खसरा नंबर 515/2 रकबा 38 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै0मु0 नदी सिवाय चक बिना लगानी अंकित है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062 में श्री रामकरण, रामस्वरूप, रामसहाय पि. सेवा राम हिस्सा 3/4 पेमा, भागीरथ पि. नाथू हिस्सा 1/4 के नाम खाता संख्या 401 खसरा नम्बर 515/8 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी 1 दर्ज है। उक्त भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 192 से सेवा पुत्र नाथू नानू राम वर्मा निवासी आसलपुर को जरिये आवंटन आवंटन दिनांक 26.05.1968 के द्वारा दर्ज है। उक्त भूमि मुताबिक सेटलमैन्ट खतौनी गै0मु0 नदी दर्ज थी। जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्वभूत नहीं होते है। जो डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त खातेदारी निरस्त करने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया।

अन्त में प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को स्वीकार फरमाकर वर्णित भूमि को राजकीय घोषित करते हुए किस्म भूमि पूर्वानुसार किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र के संलग्न खतौनी जमाबंदी संवत 2059 से 2062 एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति पेश की है।

उक्त रेफरेन्स प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर द्वारा दिनांक 30.12.2005 को निर्णय पारित कर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार फुलेरा को निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.10.2012 द्वारा प्रकरण में खातेदार श्री पेमा व भागीरथ पि0 नाथू ने अपने हिस्से का बेचान भंवरलाल पुत्र बुद्धराम को करने तथा मूल आवंटी श्री सेवाराम पुत्र नाथूराम वर्मा की विरासत पेमा, भागीरथ पुत्र नाथू के पक्ष में आवंटन आधार स्पष्ट नही होने के कारण प्रकरण अस्वीकार कर रेफरेन्स का पुनः परीक्षण कर यदि आवश्यक हो तो स्पष्ट राय के साथ मय संबन्धित दस्तावेजात के नवीनतः रेफरेन्स प्रस्तुत

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा को इस न्यायालय द्वारा तहरीर जारी की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सम्मानपूर्वक माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। पत्रावली लम्बे समय से विचाराधीन है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता प्रार्थी तहसीलदार की जिम्मेदारी बनती है कि यदि उनकी ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.10.2012 की पालना में प्रकरण का पुनः परीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें। माननीय राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर के निर्णय अनुसार समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सुना जाकर निर्णय पारित किया जाना है। परन्तु प्रार्थी तहसीलदार हितबद्ध पक्षकारों के नाम, पता आदि विवरण प्रेषित नही है। साथ ही रेफरेन्स में आवंटन आदेश की प्रति संलग्न नही की है।

अतः प्रार्थी के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.10.2012 की पालना में प्रकरण का पुनः परीक्षण करें तथा समस्त हितबद्ध व्यक्तियों की सम्पूर्ण वल्दियत पता, आवंटन आदेश आदि के साथ नियमानुसार रेफरेन्स प्रार्थना पत्र 01 माह में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2023 सुने इजलास सुनाया गया। बाद निर्णय पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

अति. जिला कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर